

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1997-पीबीआर/14 विरुद्ध आदेश दिनांक 30-5-14 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल प्रकरण क्रमांक 28/अ-70/2012-13.

रामप्रवेश सिंह आत्मज रामसेवक सिंह  
निवासी ग्राम अकबरपुर  
तहसील हुजूर जिला भोपाल

.....आवेदक

विरुद्ध

बी.के. गोस्वामी आत्मज नंदकिशोर गोस्वामी  
निवासी डी-1/103 पारससिटी  
ई-3, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

.....अनावेदक

श्री संजय नायक, अभिभाषक, आवेदक  
श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 24/11/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-5-14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम अकबरपुर तहसील हुजूर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 89/2 क्षेत्रफल 0.05 हेक्टेयर का वह भूमिस्वामी है । उक्त भूमि के अंश भाग पर आवेदक द्वारा मकान निर्मित कर शेष भूमि रिक्त होकर उस पर आवेदक का कब्जा है, अतः कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 28/अ-70/2012-13 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि प्रश्नाधीन भूमि पर मकान निर्मित होने से संहिता की धारा 250 लागू नहीं होती है ।

तहसीलदार द्वारा दिनांक 30-5-14 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन

पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।


3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि संहिता की धारा 2 (क) के अंतर्गत कृषि भूमि की परिभाषा में नहीं आती है, क्योंकि वह नगरीय क्षेत्र की सीमा में स्थित है, इसलिए संहिता की धारा 250 वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होता है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर मकान निर्मित हो चुका है, और रिक्त भूमि काल्पनिक मात्र है, इसलिए भी संहिता की धारा 250 इस प्रकरण में लागू नहीं होगा ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि वर्तमान में रिक्त पड़ी है, और केवल अंश भाग पर मकान निर्मित है, इसलिए संहिता की धारा 250 इस प्रकरण में लागू होगा । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक तहसीलदार के समक्ष प्रकरण का निराकरण नहीं होने देना चाहता है, इसलिए उनके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, और आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त होने पर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि कृषि भूमि है, और उसका व्यपवर्तन नहीं हुआ है । इसके अतिरिक्त सीमांकन कार्यवाही में आवेदक के प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं, अतः प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत किये गये सीमांकन के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 250 के अंतर्गत की जा रही कार्यवाही वैधानिक एवं उचित है, क्योंकि जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि तहसील न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण में संहिता की धारा 250 लागू होती है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-5-14 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।



  
(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश  
ग्वालियर